



जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बालाघाट

प्रधान कार्यालय : काली पुतली चौक, बालाघाट (म.प्र.) पिन-481001

दूरभाष नं. (07632) 240741, 241740, 247476, 240484, फैक्स नं. 07632-240741

ई-मेल: cbsbalaghat.mp@gmail.com & cbbgtas@rediffmail.com

क्रमांक/१६० / प्रवास/ तकनीकी समूह/ कार्यवाही विवरण/

बालाघाट दिनांक 09.03.2016

॥

प्रति,

अध्यक्ष/ संस्था प्रबंधक

वृहत्ता./ आ.जा./ सेवा सह. समिति मर्या (समस्त)

द्वारा :- शाखा प्रबंधक शाखा (समस्त)

विषय :- जिला स्तरीय तकनीकी समूह की बैठक दिनांक 24.02.2016 का कार्यवाही विवरण एवं संशोधित ऋणमान।

उपरोक्त विषयांतर्गत जिला स्तरीय तकनीकी समूह की बैठक दि. 24.02.2016 को जिला सहकारी केन्द्रीय बैंक बालाघाट के सभागृह में आयोजित की गई जिसमें सर्वसम्मति से निम्नानुसार विषयों पर स्वीकृति दी गई है। उक्त विषय बैंक की संचालक मण्डल की परिचालक समिति की बैठक दिनांक 04.03.2016 में रखा गया तथा संचालक मण्डल द्वारा तकनीकी समूह की अनुशंशाओं को स्वीकार किया गया। अतः निर्देशित किया जाता है कि समितियों के संचालक मंडल में विषय रखा जाकर आवश्यक निर्णय लेवे तथा संशोधित ऋणमान अनुसार समितियों के नए एनसीएल तैयार किया जावें।

विषय क्रमांक -01 जिले में परम्परागत एवं उन्नत तरीके से उपजाई जाने वाली मुख्य फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत एवं उत्पादन का अवलोकन एवं स्वीकृति।

निर्णय :- जिले में परम्परागत एवं उन्नत तरीके से उपजाई जाने वाली मुख्य फसलों का प्रति हेक्टेयर उत्पादन लागत एवं मूल्य का निर्धारण कार्यालय उपसंचालक किसान कल्याण तथा कृषि विभाग बालाघाट से प्राप्त आकड़ों के आधार पर किया गया सर्वसम्मति से स्वीकृति दी जाती है।

राशि रूपयों में

फसल	बीज मात्रा कि. ग्रा.	मूल्य प्रति किलो	कुल मूल्य प्रति हे.	खाद मात्रा (कि.ग्रा.)			मूल्य प्रति हे.	पौध संरक्षण	मजदुरी	अन्य खर्च	कुल व्यय	कुल उपज विव. औसत	उपज का मूल्य प्रति विव. की दर	उपज का मूल्य प्रति हे.
				एन	पी	के								
धान विपुल	10	435	4350	100	60	40	5000	850	13000	5000	28200	60	1450	87000
धान सिंचित	10	335	3350	100	60	40	5000	850	13000	3000	25200	50	1450	72500
धान असिंचित	80	25	2000	60	40	40	3500	500	9000	2000	17000	35	1410	49350
मक्का	10	200	2000	100	60	40	5000	500	2500	650	10650	40	1300	52000
सोयाबीन	80	50	4000	20	60	20	2733	500	2500	1000	10733	13	3000	39000
सुरजमुखी	8	50	400	80	60	20	4000	1000	4000	1000	9880	20	1400	28000
गेहूँ विपुल	30	100	3000	100	60	40	5000	800	8000	4000	20800	40	1500	60000
गेहूँ सिंचित	80	30	2400	100	60	40	5000	800	7000	3500	18700	35	1500	52500
गेहूँ असिंचित	100	25	2500	60	30	20	2750	500	4500	1200	11450	20	1500	30000
चना	80	100	8000	40	60	40	3500	1000	6000	2500	21000	16	3300	52800
मटर	70	80	5600	40	60	40	3500	1000	6000	3500	19600	15	3300	49500
उड़द / मुंग	30	120	3600	20	60	20	2733	500	4000	1200	12033	8	3300	26400
मुंगफली	125	110	13750	20	80	20	3542	1000	3500	1600	23392	15	3300	49500
गन्ना	8000	25	200000	300	100	60	1150	2000	12000	4500	50000	650	220	143000



4 क्र. 2- परम्परागत एवं उन्नत तकनीक से कृषि फसल ऋण (खरीफ/रबी) के लिये प्रति हेक्टर सिंचित एवं असिंचित फसलो हेतु नगद एवं वस्तु ऋणमान दरों का निर्धारण बाबद।

निर्णय - जिले में परम्परागत एवं उन्नत तकनीक से कृषि फसल ऋण (खरीफ/रबी) के लिये प्रति हेक्टर सिंचित एवं असिंचित फसलो हेतु नगद एवं वस्तु ऋणमान दरों का अवलोकन किया गया निम्न विवरण अनुसार सर्वसम्मति से स्वीकृति दी जाती है।

खरीफ फसल हेतु 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 हेतु स्वीकृत ऋण मान दरें

क्र.	फसल	उत्पादन व्यय प्रति हेक्टेयर	उत्पादन प्रति हेक्टेयर क्विंटल में	उत्पादन का विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	उत्पादन की कीमत प्रति हेक्टेयर	उत्पादन की 50 प्रतिशत राशि स्वयं कृषक हेतु	अदायगी क्षमता उत्पादन के 50 प्रतिशत का अनुमानित		म.का. / दीर्घ ऋण हेतु ऋणमान प्रति हेक्टेयर	स्वीकृत ऋणमान दरें प्रति हेक्टेयर वर्ष 2016-17 हेतु		
		(औसत)	(औसत)	(औसत)	(औसत)	(औसत)	70 प्रतिशत अ.का. ऋण हेतु	30 प्रतिशत म.का. ऋण हेतु		नगद	वस्तु	योग

खरीफ फसलें

1	धान विपुल	28200	60	1450	87000	40500	30450	13050	13050	22000	8000	30000
2	धान सिंचित (पतला)	25200	50	1450	72500	36250	25375	10875	10875	18750	6250	25000
3	धान असिंचित (मोटा)	17000	35	1410	49350	24675	17273	7403	7403	12750	4250	17000
4	मक्का	10650	40	1300	52000	26000	18200	7800	7800	13500	4500	18000
5	सोयाबीन	10733	13	3400	44200	22100	15470	6630	6630	11600	3800	15400
6	कोदो कुटकी	4000	12	1000	12000	6000	4200	1800	1800	3150	1050	4200
7	सुरजमुखी(शंकर)	11000	20	1400	28000	14000	9800	4200	4200	8250	2750	11000
8	सुरजमुखी(कम्पोजिट)	5000	12	1200	14400	7200	5040	2160	2160	3780	1260	5040
9	मुंगफली	23392	15	3300	49500	24750	17325	7425	7425	13000	4300	17300
10	तुवर (अरहर)	18000	10	5500	55000	27500	19250	8250	8250	13500	4500	18000
11	रामतिल	4000	4	3000	12000	6000	4200	1800	1800	3150	1050	4200
12	गन्ना (सामान्य)	50000	650	220	143000	71500	50050	21450	21450	37500	12500	50000

01. जिलाबाई के निर्देशानुसार संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत प्रत्येक फसल में स्वीकृत ऋणमान के अतिरिक्त स्वीकृत ऋणमान का 10 प्रतिशत अलग से फसली ऋण घटक का आकलन फसल के लिए वित्तमान+बीमा, किश्त+फसली क्षेत्र की सीमा+फसल कटाई के बाद / घरेलू / उपयोग आवश्यकताओं हेतु स्वीकृत किया जावे। गत वर्षानुसार यथावत् रखे जाने स्वीकृति दी जाती है।

02. डी.डी.एम नाबाई बालाघाट के सुझाव द्वारा नाबाई की किसान क्रेडिट कार्ड की संशोधित योजनान्तर्गत स्वीकृत ऋणमान के प्रावधानों के अनुसार 10 प्रतिशत के अतिरिक्त फार्म असेट, रख रखाव खर्चों के लिए 15 प्रतिशत अलग से स्वीकृत किया जावे। गत वर्षानुसार यथावत् रखे जाने की स्वीकृति दी जाती है।



(रबी फसल हेतु 01 अक्टूबर 2016 से 31 मार्च 2017 स्वीकृत ऋणमान दरें)

स्वीकृत फसल हेतु 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 तक												
क्र.	फसल	उत्पादन व्यय प्रति हेक्टेयर	उत्पादन प्रति हेक्टेयर क्विंटल में	उत्पादन का विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल	उत्पादन की कीमत प्रति हेक्टेयर	उत्पादन की 50 प्रतिशत राशि स्वयं कृषक हेतु	अदायगी क्षमता उत्पादन के 50 प्रतिशत का अनुमानित		म.का / दीर्घ ऋण हेतु ऋणमान प्रति हेक्टेयर	स्वीकृत ऋणमान दरें		
		(औसत)	(औसत)	(औसत)	(औसत)	(औसत)	70 प्रतिशत अ.का. ऋण हेतु	30 प्रतिशत म.का. ऋण हेतु		प्रति हेक्टेयर वर्ष 2016-17 हेतु	नगद	वस्तु

रबी फसलें

1	गेहूं विपुल	20800	40	1525	61000	30500	21350	9150	9150	16000	5350	21350
2	गेहूं सिंचित	18700	35	1525	53375	26688	18681	8006	8006	14000	4700	18700
3	गेहूं असिंचित	11450	20	1525	30500	15250	10675	4575	4575	8000	2675	10675
4	चना	21000	16	4000	64000	32000	22400	9600	9600	16500	5500	22000
5	मूंगफली	23392	15	3300	49500	24750	17325	7425	7425	13000	4300	17300
6	अलसी	6000	7	2500	17500	8750	6125	2625	2625	4594	1531	6125
7	राई सरसों	12000	12	3000	36000	18000	12600	5400	5400	9000	3000	12000
8	उड़द / मूंग	12000	8	4500	36000	18000	12600	5400	5400	9000	3000	12000
9	मटर	19600	15	4000	60000	3000	21000	9000	9000	15000	5000	20000
10	गन्ना (सामान्य)	50000	650	220	143000	71500	50050	21450	21450	37500	12500	50000
11	धान विपुल	28200	60	1450	87000	40500	30450	13050	13050	22000	8000	30000
12	धान सिंचित(पतला)	25200	50	1450	72500	36250	25375	10875	10875	18750	6250	25000
13	धान असिंचित(मोटा)	17000	35	1410	49350	24675	17273	7403	7403	12750	4250	17000

01. नाबार्ड के निर्देशानुसार संशोधित किसान क्रेडिट कार्ड योजनान्तर्गत प्रत्येक फसल में स्वीकृत ऋणमान के अतिरिक्त स्वीकृत ऋणमान का 10 प्रतिशत अलग से फसली ऋण घटक का आकलन फसल के लिए वित्तमान+बीमा, किशत+फसली क्षेत्र की सीमा+फसल कटाई के बाद / घरेलु / उपयोग आवश्यकताओं हेतु स्वीकृत किया जावे। गत वर्षानुसार यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

02. डी.डी.एम नाबार्ड बालाघाट के सुझाव द्वारा नाबार्ड की किसान क्रेडिट कार्ड की संशोधित योजनान्तर्गत स्वीकृत ऋणमान के प्रावधानों के अनुसार 10 प्रतिशत के अतिरिक्त फार्म असेट, रख रखाव खर्चों के लिए 15 प्रतिशत अलग से स्वीकृत किया जावे। जिसे सर्व सम्मति से मान्य किया गया। गत वर्षानुसार यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

विषय क्र. 3- अ.का.फसल ऋणों (खरीफ एवं रबी) वितरण की तिथि एवं वसूली की देय तिथि (ड्यू डेट) का निर्धारण करना।
निर्णय - अल्पकालीन फसल ऋण वितरण की (खरीफ/रबी) एवं ऋण वसूली की देय तिथि निम्न विवरणानुसार, गतवर्षानुसार यथावत् रखे जाने का निर्णय लिया गया।

खरीफ/रबी	ऋण वितरण की तिथि	कृषको द्वारा समिति के लिये	समिति द्वारा बैंक के लिये
खरीफ फसलों हेतु	1 अप्रैल से 30 सितम्बर	28 मार्च	31 मार्च
रबी फसलों हेतु	1 अक्टूबर से 31 मार्च	15 जून	जून माह का अन्तिम शुक्रवार
साग सब्जी हेतु	खरीफ एवं रबी मौसम में ऋण वितरण की तिथि अनुसार	खरीफ मौसम 28 मार्च, एवं रबी मौसम हेतु 15 जून	खरीफ हेतु 31 मार्च एवं रबी हेतु जून माह का अन्तिम शुक्रवार

विषय क्र. 4- अल्पकालीन फसल ऋण के लिये व्यक्तिगत सदस्य की अधिकतम ऋण सीमा का निर्धारण करना ।
निर्णय - अल्पकालीन फसल ऋण के लिये व्यक्तिगत सदस्य की ऋण सीमा धारित रकबे के आधार पर होगी। अधिकतम ऋण सीमा नगद हेतु राशि रु. 2.00 लाख (रु. दो लाख) एवं वस्तु हेतु रु. 1.00 लाख (रु. एक लाख) योग रु. 3.00 लाख मात्र (रु. तीन लाख) यथावत रखे जाने की सर्वसम्मति से स्वीकृति दी जाती है। बैंक में उपस्थित प्रगतिशील कृषकों द्वारा मांग की गई की अ.का. फसल ऋण के लिये व्यक्तिगत सदस्य की अधिकतम ऋण सीमा राशि रु. 3.00 लाख से बढ़ाकर 5.00 लाख की जावे। इस संबंध में बैंक के महाप्रबंधक द्वारा अवगत करवा गया की व्यक्तिगत सदस्य की अधिकतम ऋण सीमा का निर्धारण नाबार्ड/आयुक्त सहकारिता एवं पंजीयक सहकारी संस्थाएँ भोपाल, के द्वारा किया जाता है। अतः सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया की अ.का. फसल ऋण के लिये व्यक्तिगत सदस्य की अधिकतम ऋण सीमा राशि 3.00 लाख से बढ़ाकर राशि रु. 5.00 लाख किये जाने का प्रस्ताव एसएलबीसी (स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी) भोपाल, प्रेषित किया जावे।

विषय क्र. 5- उद्यानिकी अंतर्गत फल-फूल एवं सब्जी हेतु ऋणमान दरों का निर्धारण।
निर्णय - उद्यानिकी अंतर्गत फल-फूल एवं सब्जी हेतु ऋणमान दरों का निर्धारण सहायक संचालक उद्यान बालाघाट से प्राप्त ऑकड़ों के आधार पर अवलोकन किया गया एवं सर्वसम्मति से स्वीकृति दी जाती है।

खरीफ एवं रबी सागसब्जी हेतु 01 अप्रैल 2016 से 31 मार्च 2017 हेतु स्वीकृत ऋणमान दरें

क्र.	फसल	उत्पादन व्यय प्रति हेक्टेयर (औसत)	उत्पादन प्रति हेक्टेयर क्विंटल में (औसत)	उत्पादन का विक्रय मूल्य प्रति क्विंटल (औसत)	उत्पादन की कीमत प्रति हेक्टेयर (औसत)	उत्पादन की 50 प्रतिशत राशि स्वयं कृषक हेतु (औसत)	अदायगी क्षमता/उत्पादन के 50 प्रतिशत का अनुमानित		म.का. / दीर्घ ऋण हेतु ऋणमान प्रति हेक्टेयर	स्वीकृत ऋणमान दरें हेक्टेयर वर्ष 2016-17 हेतु		
							70 प्रतिशत अ.का. ऋण हेतु	30 प्रतिशत म.का. ऋण हेतु		नगद	वस्तु	योग
							सागभाजी					
1	आलू	57000	150	2000	300000	150000	105000	45000	45000	28000	12000	40000
2	टमाटर	35000	150	700	105000	52500	36750	15750	13500	25000	10000	35000
3	प्याज	35000	150	800	120000	60000	42000	18000	18000	25000	10000	35000
4	भिर्च	25000	70	800	56000	28000	19600	8400	8400	18375	6125	24500
5	भिडी	35000	125	1500	187500	93750	65625	28125	28125	19000	6000	25000
6	बैंगन	35000	150	900	135000	67500	47250	20250	18000	25000	10000	35000
7	अदरक / हल्दी	70000	50	4000	200000	100000	70000	30000	30000	37500	12500	50000
8	पोपट	10000	15	2000	30000	15000	10500	4500	4500	8000	2000	10000
9	लौकी	30000	200	1000	200000	100000	70000	30000	30000	22500	7500	30000
10	गोभी	32600	200	1000	200000	100000	70000	30000	30000	22000	8000	30000
11	बरबटी	26000	150	500	75000	37500	26250	11250	11250	20000	6000	26000
12	पालक	18000	100	500	50000	25000	17500	7500	7500	13000	5000	18000

विषय क्र. 6- नाबार्ड द्वारा निर्धारित मध्यमकालीन/दीर्घकालीन ऋणमान दरों का निर्धारण।
निर्णय - नाबार्ड द्वारा मध्यमकालीन/दीर्घकालीन ऋण हेतु अनुमोदित इकाई लागत निम्न विवरणानुसार गतवर्ष अनुमोदित इकाई लागत का अवलोकन किया गया एवं सर्वसम्मति से स्वीकृति दी जाती है।

Details Unit cost of Investment activities under Farm sector for Madhya Pradesh for 2016-17

Sr. No.	Activities	Unit Size	Unit cost for 2016-17(Rs.)	Repayment period upto
A. ANIMALEHUSBANDRY-DIARY DEVELOPMENT				
1	Cow (Desi)	2 animals	73500	7 years
2	Cow (Crossbred)	2 animals	122900	7 years
3	Buffalo (graded mudah)	2 animals	140300	7 years
4	Mini dairy unit	5 animals	378400	7 years
5	Mini dairy unit	10 animals	748100	7 years

6	heifer (1 to 3 yr. old)	1 animal	35700	7 years
7	Cattle feed plant	1 unit	1300000	7 years
8	Electric chaff cutter	1 unit	26300	7 years
9	Hand Chaff cutter	1 unit	7900	7 years

B. POULTRY FARMING

1	Layers (deep litter system)	100 birds	54000	7 years
2	Broiler for meat	200 birds	40000	7 years
3	Cart for eggs/broiler	1 unit	15800	7 years
4	Commercial poultry farm (broilers)	2000 birds	747100	7 years
5	Commercial poultry farm (Layers)	5000 birds	3435000	7 years
6	Central grower unit	16000 birds/batch	4800000	7 years
7	Poultry feed plant	1 unit	3750000	7 years
8	Retail poultry dressing unit	300 birds	780000	7 years

C. ANIMAL HUSBANDRY OTHERS

1	Goatery	10 + 1	75900	7 years
2	Sheep	10 + 1	71600	7 years
3	Rabbit unit	100 + 3	236300	7 years
4	Commercial goat unit	100 + 5	724200	7 years
5	Piggery	20 + 4	630000	7 years
6	Sheep and goat breeding unit	500 + 25	3583500	7 years

D. WATER RESOURCES

1	Dug well (hard rock) 5 mtr width/12mtr depth	1	105500	11 years
2	Dug well (Alluvial) 5 mtr width/12mtr depth	1	77800	11 years
a)	Bore well			
1	i) 30 metre depth with diameter-162-175mm	1	21900	11 years
2	ii) 50 metre depth with diameter-162-175mm	1	30000	11 years
3	iii) 80 metre depth with diameter-162-175mm	1	42490	11 years
b)	Tube well			
1	i) 30 metre depth with diameter-162-175mm	1	100000	11 years
2	ii) 50 metre depth with diameter-162-175mm	1	158600	11 years
c)	Pump sets			
1	1 HP	1 HP	5500	7 years
2	3 HP	3 HP	4305-10000	7 years
3	5 HP	5 HP	6100-19000(Diesel)	7 years
4	8 HP	8 HP	25900(Diesel)	7 years
d)	Submersible pumpsets			
1	3 HP	3 HP	11340-22500	7 years
2	5 HP	5 HP	12390-24250	7 years
3	6 HP	6 HP	13230-26300	7 years

4	8 HP	8 HP	16380-28600	7 years
5	10 HP	10 HP	18743-30300	7 years
c) Generators				
1	5 KVA	5 KVA	39000	9 years
2	7.5 KVA	7.5 KVA	42000	9 years
3	10 KVA	10 KVA	58000	9 years
4	Alternators	Per unit	33900	9 years
5	Pipeline	1 ha.	17300	9 years
6	Drip irrigation	1 ha.	54464-115500	9 years
7	Sprinkler set-HDPE	1 ha. Madel	46200	9 years
8	Sprinkler set-Steel	1 ha. Madel	71400	9 years
9	Lift irrigation	1 ha.	140000	9 years
10	Renovation of dug well		35000	11 years
11	Rain water harvesting structure-Farm pond (black soil)	825 cubic meter	80000	9 years

E. PLANTATION & HORTICULTURE

a)	Fruit Crops			
1	Mango	Ha	126800	12-15 years (including 6-7 yrs gestation)
2	Mango High Density	Ha	262900	12-15 years (including 6-7 yrs gestation)
3	Banana	Ha	126800	3 years (including 6-7 yrs gestation)
4	Papaya	Ha	91900	3 years (including 1 yrs gestation)
5	Guava	Ha	112000	10-15 years (including 4-5 yrs gestation)
6	Lemon	Ha	136000	10-15 years (including 4-5 yrs gestation)
7	Orange	Ha	136000	10-15 years (including 4-5 yrs gestation)
8	Ber	Ha	27800	10-15 years (including 4-5 yrs gestation)
9	Pomegranate	Ha	137500	10-15 years (including 4-5 yrs gestation)
10	Aonla	Ha	98900	7 years (including 5 yrs gestation)
11	Sapota	Ha	92200	12-15 years (5 yrs gestation)
12	Grapes	Ha	361200	8 years (including 1 yrs gestation)
13	Beatle leaf	Ha	71000	5-10 years (1 yrs gestation)
b)	Floriculture			
1	Cut flowers	Ha	210700	8 years (including 6 months gestation)
2	Bulbs	Ha	245700	8 years (including 6 months gestation)
3	Loose Flowers	Ha	153100	8 years (including 6 months gestation)
4	Poly House	1000 sq mtr	682500	5 years
5	Green House	1000 sq mtr	262500	5 years

F. FARM MACHENISATION



a)	New Tractors			
1	15 HP	1 unit	230000	9 years
2	30 HP	1 unit	500000	9 years
3	35 HP	1 unit	565000-585000	9 years
4	40 HP	1 unit	610000	9 years
5	45 HP	1 unit	660000-810000	9 years
6	50 HP	1 unit	745000-850000	9 years
7	60 HP	1 unit	Rs.8.00 to 8.10 lakh	9 years
8	75 HP	1 unit	Rs.11.75 lakh	9 years
9	90 HP	1 unit	Rs.15.75 lakh	9 years
b)	Old tractors	1 unit	Rs.273000-446250	9 years
c)	Combine harvester	1 unit	Rs.1680000	9 years
d)	Power tiller	1 unit	Rs.200000	9 years
e)	Thresher	1 unit	Rs.80000-195000	9 years
f)	Rotavator	1 unit	Rs.95000-105000	9 years
g)	Potato planter & opener	1 unit	94500	9 years
h)	Paddy Transplanter	1 unit	225750	9 years
G. FISHERIES*				
1	Construction of new fish pond-Intensive fish culture	Per ha.	524500	7 years
2	Renovation of existing fish pond	Per ha.	153000	7 years
H. LAND DEVELOPMENT				
1	Land levelling (av.slope 2%)	Per ha.	20500	7 years
2	NADEP/Vermi Compost	3 tonne capacity	23400	5 years
3	Vermi hatchery	150 MT/yr.	745500	5 years
4	Tiny vermi compost unit	1.8 tonne per ha.	5700	5 years
5	Reclamation of soil (saline/Alkaline)	Per ha.	31500-81900	7 years
6	Watershed development (	Per ha.	65100	7 years
L. OTHER INVESTMENTS				
1	Biogas unit	1 cub mtr	16300	5 years
		2 cub mtr	25000-32000	5 years
		3 cub mtr	30000-44000	5 years
		4 cub mtr	36000-49000	5 years
		6 cub mtr	42000-57000	5 years
		Prefab.Portable	27300	5 years
2	Sericulture	1 Acre	157500	5 years
3	Other-Bullock	1 Pair	32000	
4	Bullock carts (Pneumatic tyres)	1	42000	

अंत में बैठक की कार्यवाही समाप्ति की घोषणा की गई एवं महाप्रबंधक द्वारा अमर व्यक्त किया गया

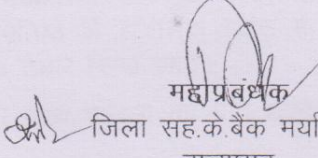


(Handwritten signature)
(पी.एस.धनवाल)
महाप्रबंधक

निर्देश :-

01. कलेक्टर, जिला बालाघाट एवं अध्यक्ष जिलास्तरीय तकनीकी समूह कमेटी की ओर सादर सूचनार्थ।
02. सहायक महाप्रबंधक, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक क्षेत्रीय कार्यालय ई-5 अरेरा कॉलोनी विट्टन मार्केट, भोपाल(426016) की ओर सादर सूचनार्थ।
03. प्रबंध संचालक म.प्र. राज्य सहकारी बैंक मर्यादित भोपाल की ओर सादर सूचनार्थ।
04. उपसंचालक, किसान कल्याण एवं कृषि विभाग बालाघाट एवं सदस्य जिलास्तरीय तकनीकी समूह कमेटी की ओर सादर सूचनार्थ।
05. उपायुक्त सहकारिता, बालाघाट एवं सदस्य जिलास्तरीय तकनीकी समूह कमेटी की ओर सादर सूचनार्थ।
06. प्रबंधक, लीड बैंक बालाघाट एवं सदस्य जिलास्तरीय तकनीकी समूह कमेटी की ओर सादर सूचनार्थ।
07. डी.डी.एम. नाबार्ड, बालाघाट एवं सदस्य जिलास्तरीय तकनीकी समूह कमेटी की ओर सादर सूचनार्थ।
08. डीन, कृषि महाविद्यालय वारासिवनी एवं विशेष आमंत्रित सदस्य जिलास्तरीय तकनीकी समूह कमेटी की ओर सादर सूचनार्थ।
09. कृषि वैज्ञानिक, कृषि विज्ञान केन्द्र बड़गांव (किरनापुर) एवं सदस्य जिलास्तरीय तकनीकी समूह कमेटी की ओर सादर सूचनार्थ।
10. प्रबंधक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक बालाघाट एवं सदस्य जिलास्तरीय तकनीकी समूह कमेटी की ओर सादर सूचनार्थ।
11. शाखा प्रबंधक शाखा की ओर सूचनार्थ एवं निर्देशित किया जाता है कि शाखा से संबद्ध समितियों को उपरोक्तानुसार संशोधित ऋणमान के अनुसार वर्ष 2016-17 हेतु नवीन एनसीएल तैयार किया जाना सुनिश्चित करें एवं पत्र की छायाप्रति समितियों को उपलब्ध करावें तथा पावती प्राप्त करें।




महाप्रबंधक
जिला सह.कै.बैंक मर्यादित,
बालाघाट